स्थापना वर्ष – 15 जून 2017

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय

बीरगांव, जिला – रायपुर (छ.ग.)

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय
बीरगांव, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रवेश दिग्दर्शिका

प्राचार्य: डॉ. प्रीति शर्मा
Email: govt.college.birgaon@gmail.com
Website: www.snkp.ac.in

Create by Ajad sonkar Pushpendra Sahu B.Sc. 3rd Year, Batch 2025-26

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय,बीरगाँव,रायपुर (छ.ग.)

विवरण–पत्रिका

2025–26

Governed By
Department of Higher Education
Government of Chhattisgarh
And
Affiliated to
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (C.G.)
(www.prsuuniv.in)

SHAHEED NANDKUMAR PATEL GOVT COLLEGE
BIRGAON RAIPUR
Phone No.:0771-2999011

Email:- govt.college.birgaon@gmail.com

Website-https://snkp.ac.in

Published By:

PRINCIPAL,
SHAHEED NANDKUMAR PATEL GOVT COLLEGE
BIRGAON RAIPUR PIN (493221)

Contact No.-0771-2999011,
Website: **https://snkp.ac.in**
Email:- govt.college.birgaon@gmail.com

All copyrithgts reserved – Office of Shaheed Nand kumar
Patel Govt College, Birgaon, Raipur, C.G. Pin 493221

संकलनकर्ता– प्रो. जितेन्द्र यादव,

प्रूफरीडर– डॉ. रोसमीना कुजूर , डॉ. युगबोध पटले

मुख्य टंकणकर्ता– श्री घनश्याम यादव

सह. टंकणकर्ता– श्लेष्मा लकड़ा

आवरण पृष्ठ निर्माणकर्ता– श्री आजाद सोनकर एवं श्री पुष्पेन्द्र साहू, बी.एस.सी तृतीय वर्ष

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय,बीरगाँव,रायपुर (छ.ग.)

डॉ. प्रीति शर्मा
प्राचार्य

प्राचार्य की कलम से .....

I welcome you to this institute of higher education established in 2017 with a prime motto if providing quality education at your dooe steps

The Last two decades have seen a remarksble grouth in higher education in India and across the globe

The move towards inter disciplinary studis and interactive learning have opened up several learning have opened up seceral challenges

India is at a Function where a huge population of young crowd is opting for higher education with a tremedous grouth of privatisation of education in india the major focus is on creating a platform for quality is knowledge enhavcement and bridging the golp between accademia and indusry

“Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom.” – Oprah Winfrey

Education is the foundation of progress and the greatest gift one can possess. It eliminates ignorance, fosters wisdom, and shapes individuals into responsible members of society. It empowers women, expands perspectives, strengthens communities, and enables individuals to lead dignified lives. This is why my passion for education runs deep.

It is with immense pride and joy that I acknowledge the growth and success of Shaheed Nand Kumar Patel Government College, Birgaon. With the unwavering dedication of our educators and the determination of our students, Our dedicated faculty state of the art facilities and dynamic, curriculum are our goal has always been to create a learning environment that nurtures both intellectual and personal growth.

In pursuit of our vision, we are committed to making continuous efforts to enhance the academic landscape in India. Education is more than just acquiring knowledge; it is a powerful force for social transformation. The achievements of our students across various fields inspire us and contribute meaningfully to the betterment of society. We take immense pride in being part of an institution that plays a crucial role in shaping the future of our nation.

At Shaheed Nand Kumar Patel Government College, Birgaon, we are dedicated to maintaining high academic standards while fostering an environment that encourages holistic development. We strive to meet and exceed the expectations of our students, parents, and society at large.

Our Mentor System ensures that each student receives personalized guidance, helping them grow academically, morally, and socially. Equal emphasis is placed on discipline, integrity, and cognitive development. Various student-oriented programs, including the National Service Scheme (NSS), Youth Welfare Programs, Career Guidance Cell, Physical Education Department, Red Ribbon Club, and the Centre for Women Empowerment, provide platforms for students to develop skills that go beyond the classroom.

Our faculty members are not just educators but mentors, dedicated to equipping students with essential life skills that empower them to be self-sufficient, confident, and socially responsible individuals. We foster a culature of inclusivity community service and extra curricular engagement to shap well raunded individual.

I extend my warmest wishes for success, peace, and prosperity to all those who contribute to the noble cause of education. May our institution continue to enlighten minds and cultivate the leaders of tomorrow.

Dr. Preeti Sharma
Principal,
Shaheed Nand Kumar Patel
Government College, Birgaon Raipur

(1) महाविद्यालय का परिचयः–

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगांव की स्थापना 15 जून 2017 को कला, वाणिज्य एवं विज्ञान (बायोटेक्नोलॉजी) संकाय, 90–90 सीटों के साथ शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन रावांभाटा से प्रारंभ की गई। इसके पूर्व इस क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं होने से यहां के होनहार छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते थे। बीरगांव एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहां छोटे–बड़े बहुत से उद्योग स्थापित हैं, यहां अधिकांशतः मध्यम आय वर्ग एवं कुशल श्रामिक वर्ग के लोग निवास करते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं जागरूक नागरिकों ने एकजुट होकर शासन से महाविद्यालय खुलवाने के लिए आग्रह किया। शासन ने इस क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव की स्थापना की।

महाविद्यालय का नामकरण दिनांक 23–09–2021 को शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगांव, रायपुर किया गया। जनता की मांग एवं छात्रहित को देखते हुए सत्र 2020–21 से विज्ञान समूह में गणित संकाय प्रारंभ हुआ। सत्र 2023–24 से एम.ए. (समाजशास्त्र) एवं विज्ञान समूह में वनस्पति शास्त्र विषय प्रारंभ हुआ।

महाविद्यालय का अपना खसरा नं. 406/9 का रकबा 7.244 हेक्टेयर में से भाग रकबा 1.660 हेक्टेयर अर्थात 4.10 एकड़ भूमि स्वीकृत है। उक्त भूमि पर महाविद्यालय को अपना नवीन भवन दिनांक 27–09–2022 को प्राप्त हुआ।

सत्र 2024–25 से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी प्रथम सेमेस्टर में नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड रिबन क्लब की इकाई संचालित है। ये सभी इकाइयां विभिन्न गतिविधियों में संलग्न कराते हुए विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, नेतृत्व कौशल और सर्वांगीण विकास करा रहे हैं। महाविद्यालय में ग्रंथालय एवं वाचनालय हैं, जिसमें लगभग 3000 पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं हैं।

महाविद्यालय में समय–सारणी के अनुसार नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जाती है। महाविद्यालय में एक स्वस्थ शिक्षण का वातावरण है। महाविद्यालय को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्धता प्राप्त है। अपनी स्थापना के साथ ही यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है।

(2) महाविद्यालय से संबंध्द तथा अध्ययन किये जाने वाले विषय

यह महाविद्यालय पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि.रायपुर से निम्नलिखित संकायों, कक्षाओं एवं विषयों के लिए संबंध्दता प्राप्त कर चुका है।

(क) कला संकाय
(ख) वाणिज्य संकाय
(ग) विज्ञान संकाय

उपर्युक्त तीनों संकायों में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली तथा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्व एवं उत्तरार्द्व कक्षाओं के लिए अध्यापन किया जाता है।

(क) कला संकाय :

(1) बी.ए.– 180 (बी.ए.प्रथम सेमेस्टर में NEP 2020 लागू है)

(क) आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण (अनिवार्य)
(ख) समाजशास्त्र
(ग) राजनीति शास्त्र
(घ) अर्थशास्त्र
(ड) अंग्रेजी साहित्य
(च) हिन्दी साहित्य

इनमें से कोई तीन विषय ही लें सकेंगें।

(2)समाज शास्त्र स्नातकोत्तर–25

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

(ख) वाणिज्य संकाय :–

(1) बी.काम. – 180 (बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में NEP 2020 लागू है)

आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण (अनिवार्य)

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

(ग) विज्ञान संकाय :–

(1) बी.एस.सी– (बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में NEP 2020 लागू है)

(अ) आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण (अनिवार्य)
(ब) बायो समूह – 90 प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र,
(स) बायोटेक्नोलॉजी. 180 प्राणी विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी रसायन शास्त्र,
(द) गणित समूह– 90 गणित, भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र

नोट :–उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के आदेशानुसार सत्र 2007–2008 से स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान के सभी विषयों का अध्यापन अंग्रेजी माध्यम से अनिवार्यतः कराया जावेगा। विद्यार्थी परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी के रूप में चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2026–27

1. प्रयुक्ति :–

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**
विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालय को छोड़कर समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को

प्रेषित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से महाविद्यालय स्पर पर प्राचार्य, द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक के द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्यतः किसी भी संशोधन/परिवर्धन सम्बन्धित निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(द) विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जायेगा। स्वशासी महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्ष अर्थात सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होंगे। **(स्नातक प्रथम सेमेस्टर वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक प्रांरभ होगा)** परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 10 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावेगा किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं पूर्व सेमेस्टर के कोर्सेस/कोर्स क्रेडिट का मिलान करना आवश्यक होगा तथा आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में

अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

विधि, संकाय के अतिरिक्त वार्षिक प्रणाली अंतर्गत (अंतिम वर्ष में) अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 कार्य दिवस तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

सेमेस्टर प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है, परन्तु किसी सेमेस्टर के किसी कोर्स विशेष में प्रावधानानुसार निविदत्त मूल्यांकन (चैलेंज्ड वैल्युएशन) द्वारा परिणाम में परिवर्तन होने की स्थिति में सेमेस्टर वार प्रोन्नति नियम (सेमेस्टरविसरे प्रोमोशन रूल) के अनुसार आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत होने की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अंतर्गत ही क्रमानुगत सेमेस्टर के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं, तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक संकाये में अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों

में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रायधानों के प्रमुख बिन्दुओं सहित संस्थान्तर्गत संचालित संकायवार निर्धारित विषय समूह सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

3.4 स्नातक प्रथम वर्ष में NEP 2020 लागू है विस्तृत जानकारी हेतु क्यू.आर कोड स्कैन करे –

4. प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर तत्वसम्बन्धित सेमेस्टर/कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा

निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/ अनुशासनहीनता/ तोड़फोड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे, जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार ''राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है'' का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/ राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हैं, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–

क) 102 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 102 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस. सी. (बायोध्गणित समूह) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नही दिया जायेगा। संकायवार निर्धारित विषय समूह के अनुरूप ही प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रत्येक सम सेमेस्टर (द्वितीय/चतुर्थ/ षष्टम/अष्टम) में प्रवेश नवीनीकरण तथा विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/ सप्तम) में नियमित प्रवेश की पात्रता सम्बन्धित अध्यादेश/विनियम में उल्लेखित प्रोन्नत्ती नियम (प्रमोशन रूल) के अनुसार ही होगी तथा किसी सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरुप ही होगी।

(ग) स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सप्तम में नियमित प्रवेश संबंधित अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार दिया जायेगा

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी / एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियनित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर के क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण तथा द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित प्रोन्नति नियम (प्रमोशन रूल) के अनुसार ही होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु:–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर सेमेस्टर में बैकलॉग कोर्स संबंधित/सेमेस्टरवार प्रोन्नति नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

3. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्ष के बाद एक्जिट होने वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन काउंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/ इंटरमीडिएट बोर्ड की 10–12 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर

जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली

शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनएसक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनएसक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/ समस्तरीय प्रमाण – पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+12 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र, जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 10+12 स्तर में व्यावसायिक विषय थे, वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों, तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–

7.1 स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली अंतर्गत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस.–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, तो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिय जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा। किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए, उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तर्गत संचालित सेमेस्टर में क्रेडिट स्थानान्तरण के प्रावधान संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित नियमों के अनुरुप किया जायेगा। तद्नुसार स्नातक के तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना कोर्स मिलान एवं क्रेडिट स्थानांतरण पर आधारित होगा तथा सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश / विनियन में प्रावधानित नियमानुसार दिया जायेगा।

7.4 वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगाः–

8.1 वार्षिक प्रणाली अंतर्गत शेष वर्ष हेतु स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में बैकलॉग परिणाम वाले आवेदकों को अगली सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की पात्रता, संबंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश / विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा। (वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु लागु)

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :–

9.1. किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/ छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी सत्र/ सत्रों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परन्तु अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है अथवा स्वधायी विद्यार्थी के रूप में उसी संकाय में पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि यह कंडिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।

यदि किसी छात्र–छात्रा ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु–सीमा :– छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15/08/2021 के तहत् आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया जाता है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्रध/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परन्तु स्वधायी विद्यार्थी के रूप में अन्य संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कण्डिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।

9.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप स्नातक स्तर पर स्यध्यायी विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (तृतीयध/पंचमध/सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जायेगा।

9.8 विदेशी नागरिकता अथवा विदेशी विश्वविद्यालय/बोर्ड से उतीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान करने के सम्बन्ध में यू.जी.सी. द्वारा जारी प्रावधानों / नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता निर्धारण नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

10 प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/ स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित /पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के कम में होगा। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अंतर्गत अगली कक्षाओं/सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश / विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगा तथापि प्राथमिकता नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के 3ध्4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य

स्थानोंध्तहत्तीलोंधजिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12.आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगाः–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस (32%) प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह (12%) प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जातिध्अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 5 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका, 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि –"We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in

educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

टिप्पणी :–

अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कं. एफ 13–1/2023/आ. प्रा. /1–3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरुप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कं. 19668ध्2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

13. अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी.कैडेट	10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट 10 प्रतिशत
(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत्
(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत्

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत्

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक 10 प्रतिशत

कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत् सदस्य को

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की 12 प्रतिशत् टीम के सदस्यों को

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष

एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत् घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2. 2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :–

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं, जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के

उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 विशेष :–

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया हैं, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

महाविद्यालय में प्रवेश नियम एवं उप–नियम

(1) स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के पोर्टल www.prsuuniv.in में जाकर छात्र एवं छात्रायें पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन उपरान्त प्राप्तांक के गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। दिये गए मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत् पात्रता रखने वाले छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र–छात्रायें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ के बाहर के विश्वविद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं, तो उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही प्रवेश दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10वीं 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री–डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावेगा।

पात्रता प्रमाण पत्र हेतु उन्हें समस्त परीक्षाओं की अंक सूचियों तथा उपाधि प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियां विश्वविद्यालय भेजना होगा, आवेदन पत्र के साथ सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी की अंक सूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उक्त आवश्यक कागजात के साथ फीस 40/–(चालीस रूपये मात्र) विलम्ब शुल्क लगेगा। जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र पर जैसे ही विलम्ब शुल्क लागू होता है, उसी तिथि से विलम्ब शुल्क लागू होता है, उसी तिथि से विलम्ब शुल्क लागू हो जावेगा।

(2) सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक हो, अथवा वे उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हो, इस विवरण पत्रिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में निश्चित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। एक विषय में पूरक छात्रों को योग्यता के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि विगत 3 वर्षों में कोई

विद्यार्थी आंदोलन, हिंसा अथवा परीक्षा संबंधी अनुचित व्यवहार का दोषी हो तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(3) प्रवेश पाने के लिए आवेदक का आवेदन पत्र स्पष्ट और सुबोध अक्षरों में स्वयं ही भरा जाना चाहिए और समस्त आवश्यक सूचनायें दी जानी चाहिए। प्रमाण पत्र आदि एवं फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो) संलग्न कर संपूर्ण आवेदन–पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में परीक्षाफल घोषित होने के बाद 15 दिवस के अन्दर या प्राचार्य द्वारा घोषित तिथि तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र विचारार्थ तभी स्वीकार किये जावेंगे, जब स्थान रिक्त होगा। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(4) शुल्क में संशोधन/समिति के निर्णयानुसार किया जा सकता है।
विद्यार्थियों को निम्न शुल्क जमा करना होगा।

शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिये लागू शिक्षण एवं अन्य शुल्क का विवरण

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय बीरगांव, जिला–रायपुर (छ.ग.)

(1) शुल्क संबंधी विवरण

वर्ष 2026–27

(1) अशासकीय शुल्क :–

	पी. डी. मद			
शुल्क विवरण	**बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर**	**बी.ए. प्रथम सेमेस्टर**	**बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर**	**एम.ए प्रथम सेमेस्टर**
साइकल स्टैण्ड	10	10	10	10
काशनमनी	60	60	60	100
वाचनालय शुल्क	50	50	50	50
शारीरिक कल्याण मद शुल्क	150	150	150	150
महाविद्यालयीन विकास शुल्क	150	150	150	200
परिचय पत्र	50	50	50	50
रेडक्रॉस	40	40	40	40
पत्रिका शुल्क	100	100	100	100
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	150	150	150	150
नामांकन शुल्क	150	150	150	150
उद्यान/स्वच्छता/पर्यावरण शुल्क	20	20	20	20
आनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क	50	50	50	50
योग	**980**	**980**	**980**	**1070**

ए. एफ. मद				
एकीकृत निधि	32	32	32	32
महाविद्यालयीन / विश्वविद्यालयीन छात्रसंघ	10	10	10	10
छात्र सहायता शुल्क	5	5	5	5
स्नेह सम्मेलन	100	100	100	100
क्रीडा शुल्क	20	20	20	20
योग	**167**	**167**	**167**	**167**
महायोग	**1147**	**1147**	**1147**	**1237**

(2) शासकीय शुल्क :–

शुल्क विवरण	बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर	बी.ए. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	एम.ए प्रथम सेमेस्टर
शिक्षण शुल्क	115	115	115	135
प्रवेश शुल्क	3	3	3	3
स्टेशनरी शुल्क	2	2	2	2
विज्ञान शुल्क	20	0	0	0
योग	**140**	**120**	**120**	**140**

(3) जनभागीदारी शुल्क 500 रू. प्रति छात्र

(4) प्रायोगिक / विज्ञान संवर्धन शुल्क बी.एससी (गणित समूह)–100 रू. प्रति छात्र एवं बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी समूह 150 रू. प्रतिछात्र

बी.एस.सी प्रथम सेमेस्टर (गणित समूह)

शुल्क विवरण

Category		Govt. fee	Non. Govt.fee	Janbhagidari	Practical/Science	Total
General/OBC	Boys	140	1147	500	100	1887
-do-	Girls	25	1147	500	100	1772
S.C/S.T.	Boys	25	1147	500	100	1772
-do-	Girls	25	1147	500	100	1772
Govt. Employees		25	1147	500	100	1772

बी.एस.सी प्रथम सेमेस्टर (बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी समूह)

शुल्क विवरण

Category		Govt. fee	Non. Govt.fee	Janbhagidari	Practical/Science	Total
General/OBC	Boys	140	1147	500	150	1937
-do-	Girls	25	1147	500	150	1822
S.C/S.T.	Boys	25	1147	500	150	1822
-do-	Girls	25	1147	500	150	1822
Govt. Employees		25	1147	500	150	1822

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर / बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर

शुल्क विवरण

Category		Govt.	Non. Govt.fee	Janbhagidari	Total
General/OBC	Boys	120	1147	500	1767
-do-	Girls	5	1147	500	1652
S.C/S.T.	Boys	5	1147	500	1652
-do-	Girls	5	1147	500	1652
Govt. Employees		5	1147	500	1652

एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (समाजशास्त्र)

शुल्क विवरण

Category		Govt. fee	Non. Govt. fee	Janbhagidari	Total
General/OBC	Boys	140	1237	500	1877
-do-	Girls	5	1237	500	1742
S.C/S.T.	Boys	5	1237	500	1742
-do-	Girls	5	1237	500	1742
Govt. Employees		5	1237	500	1742

बी.एस.सी. तृतीय सेमेस्टर /तृतीय वर्ष (गणित समूह)

शुल्क विवरण

Category		Govt. fee	Non. Govt.fee	Janbhagidari	Practical/Science	Total
General/OBC	Boys	140	937	500	100	1677
-do-	Girls	25	937	500	100	1562
S.C/S.T.	Boys	25	937	500	100	1562
-do-	Girls	25	937	500	100	1562
Govt. Employees		25	937	500	100	1562

बी.एस.सी तृतीय सेमेस्टर /तृतीय वर्ष (बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी समूह)

शुल्क विवरण

Category		Govt. fee	Non. Govt.fee	Janbhagidari	Practical/Science	Total
General/OBC	Boys	140	937	500	150	1727
-do-	Girls	25	937	500	150	1612
S.C/S.T.	Boys	25	937	500	150	1612
-do-	Girls	25	937	500	150	1612
Govt. Employees		25	937	500	150	1612

बी.ए. /बी.कॉम. तृतीय सेमेस्टर /तृतीय वर्ष

शुल्क विवरण

Category		Govt.	Non. Govt.fee	Janbhagidari	Total
General/OBC	Boys	120	937	500	1557
-do-	Girls	5	937	500	1442

S.C/S.T.	Boys	5	937	500	1442
-do-	Girls	5	937	500	1442
Govt. Employees		5	937	500	1442

एम.ए. तृतीय सेमेस्टर (समाजशास्त्र)

शुल्क विवरण

Category		Govt. fee	Non. Govt. fee	Janbhagidari	Total
General/OBC	Boys	140	987	500	1627
-do-	Girls	5	987	500	1492
S.C/S.T.	Boys	5	987	500	1492
-do-	Girls	5	987	500	1492
Govt. Employees		5	987	500	1492

(डॉ. प्रीति शर्मा)
प्राचार्य
शहीद नंदकुमार पटेल
शासकीय महाविद्यालय बीरगांव
जिला – रायपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त रू. 360 माइग्रेशन शुल्क देय होगा।

प्रवेश के समय संलग्न करने हेतु प्रपत्र

इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदित ऑनलाईन आवेदन की हार्डकॉपी के साथ

निम्न दस्तावेज आवश्यक संलग्न करें–

(1) इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पूर्व जिस विद्यालय/महाविद्यालय में विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, उस शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (Original Transfer Certificate) आवश्यक होगा, किन्तु इस महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

(2) पिछली परीक्षा के अंकसूची की एक प्रमाणित प्रति।

(3) जन्म तारीख को प्रमाणित करने वाली दसवीं परीक्षा की अंकसूची की प्रमाणित प्रति।

(4) अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/बी.पी.एल./शासकीय सेवक से संबंधित होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

(5) यदि विद्यार्थी ने स्वाध्यायी तौर पर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी प्रदत्त सदाचार का प्रमाण पत्र (Good Conduct Certificate)।

(6) बिना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि प्रवेश दिया गया, तो 15 सितम्बर तक प्रवजन प्रमाण पत्र न देने पर प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।(पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक 1831 नामांकन/69 दिनांक 01/04/1996 के अनुसार)।

(7) प्रवेशाधिकारी (Professor In-ChargeAdmission) प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की संस्तुति।

(8) एक फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो 2 फोटो)।

(9) आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छाया प्रति।

(क) प्रवेशोपरांत आवश्यक निर्देश–

1. ऐसे विद्यार्थी जो किसी संस्थान/कार्यालय में कार्यरत है, वे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें। जिसमें यह भी स्पष्ट हो किवे विद्यार्थी को महाविद्यालय को निश्चित समय पर अवकाश देने के लिए सहमत है।
2. विषय में परिवर्तन के लिए प्रवेश दिनांक से 14 दिन के पश्चात् कोई भी विद्यार्थी अपने अध्ययन के विषय में परिवर्तन नहीं करा सकेगा। इस अवधि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन विषय परिवर्तन के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। प्रवेश के बाद सेक्शन आंबटन में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
3. किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की सूचना व्यक्तिगत् रूप से नहीं दी जावेगी। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी को स्वयं इस विषय की जानकारी सूचना पटल एवं महाविद्यालय के वेबसाईट **Website-https://snkp.ac.in** (कार्यालय) से प्राप्त करनी होगी।
4. प्रत्येक विद्यार्थी को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में अपना पंजीयन कराना आवश्यक है अन्यथा उनको विश्वविद्यालय परीक्षा में/स्वशासी महाविद्यालय योजना के अंतर्गत ली जानी वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और इनके द्वारा देय महाविद्यालयीन कोई भी शुल्क वापस नहीं दिया जायेगा। महाविद्यालय इस प्रकार की किसी असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय या उसके पूर्व आवश्यक कागज पत्र और प्रमाण पत्रों के अभाव में कोई भी नकद/मनीआर्डर/चेक/ड्राफ्ट द्वारा धनराशि नहीं भेजना चाहिए।

6. प्रवेशार्थी से महाविद्यालयीन शुल्क उसी दशा में स्वीकार किया जा सकेगा, जब उसे प्राचार्य द्वारा प्रवेश संबंधी आदेश दिया जायेगा। शुल्क का भुगतान केवल आनॅलाईन मान्य होगा।
7. शुल्क या किसी अन्य प्रकार की धनराशि यदि इस महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी/व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये तो उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए अन्यथा महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान

छत्तीसगढ़ प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गए अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र–छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नाकिंत दण्ड का प्रावधान है।

(1) निलंबन
(2) निष्कासन
(3) विश्वविद्यालय परीक्षा जिसमें स्वशासी परीक्षा भी शामिल हैं, में सम्मिलित होने से रोका जाना है।

(ग) शुल्क संबंधित अन्य नियम

1. पी.एच.–डी. की उपाधि के लिए जो शोध छात्र इस महाविद्यालय में अनुसंधान कार्य करेंगे उनको नियमानुसार मासिक शुल्क जमा करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जा सकेगी, परन्तु उनकों सभी शुल्क आदि नियमित विद्यार्थियों की भांति देने होगें।
2. समय पर परीक्षा शुल्क जमा करना।
3. उपर्युक्त सभी शुल्क तथा अन्य धन राशियॉ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार है, भविष्य में जो भी निर्णय अथवा नियम छ.ग. शासन द्वारा लागू किया जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वैधानिक रूप से मान्य होगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
4. प्रवेश अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि चाहे जो भी हो प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी को पूरे सत्र के लिए महाविद्यालय का

शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। सत्र के बीच में महाविद्यालय छोड़ने पर शुल्क की वापसी नहीं होगी।

5. विद्यार्थी को चाहिए कि वे शुल्क जमा करने के प्रमाण स्वरूप सभी रसीदे संभाल कर रखें।

6. यदि विद्यार्थी बिना अनुमति के कक्षा में एक माह या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो वगैर सूचना दिये उसका प्रवेश शुल्क – 10.00 रूपये छात्र/छात्रा पुनः प्रवेश हेतु आवेदन करने पर प्राचार्य की स्वीकृत पश्चात् निर्धारित दण्ड/शुल्क जमा करने के उपरांत पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा। छात्र के स्थानांतरण प्रमाण–पत्र लेने के बाद पुनः प्रवेश या परीक्षा में सम्मिलित होने की दशा में पंजीयन शुल्क 30.00 रूपये देना आवश्यक होगा।

(घ) शुल्क आदि संबंधित सुविधायें –

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को शुल्क आदि से निम्न सुविधायें प्रदान की गई है :

(अ) 1. कृषकों को सुविधा

(I) निम्न श्रेणी वाले कृषकों को पुत्र/पुत्री तथा पत्नी को अध्यापन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जा सकती है उन्हें शेष दो तिहाई अध्यापन शुल्क देना होगा।

(II) कोई कृषक जो स्वयं खेतिहार हो अथवा अपने परिवार का पालन खेती के द्वारा ही करता हो और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तथा 300 रूपये से अधिक की मालगुजारी न देता हो अथवा अपने मालिक को इससे अधिक भाड़ा न देता हो। यह मालगुजारी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर जिलों में 200.00 रूपये से अधिक न होगा।

(ब) खेतिहर श्रमिक अथवा खेतिहर कारीगर –

उपर्युक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को प्राचार्य के माध्यम से जिलाध्यक्ष को आवेदन देना होगा, जो महाविद्यालय के कार्यालय में 31 अगस्त तक निम्न प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

1. विद्यार्थी के पिता की खेती द्वारा आमदनी का पटवारी के द्वारा प्रमाणित पत्र।

2. महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र में भरकर प्रमाणित किया हुआ तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र।
3. 31 अगस्त के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले इस प्रकार की सुविधा पा चुके हो उनको प्रतिवर्ष नये सिरे से प्रार्थना पत्र देना होगा।

(स) भाईयों को दी जानी वाली सुविधा–

यदि दो या अधिक भाई इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तथा नियमित विद्यार्थी हों तो उनमें से सबसे बड़े को सम्पूर्ण शुल्क और शेष को केवल शिक्षण शुल्क का आधा व अन्य शुल्क पूरा देना होगा। इस सुविधा को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जितनी जल्दी हो सके इस हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय मे जमा कर दें और आवश्यक प्रमाण पत्र आदि किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके संलग्न कर दें।

(द) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सुविधा–

अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित किसी राजपत्रित अथवा तहसील के राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो कि प्रार्थी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग का है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। शुल्क संबंधित सुविधायें विद्यार्थी के अच्छे चाल–चलन तथा संतोषजनक प्रगति पर आधारित है। यदि विद्यार्थियों का चाल चलन अच्छा नहीं होगा या प्रगति संतोषजनक नहीं होगी तो शुल्क सुविधा वापस ले ली जायेगी।

(ई) छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को सुविधा–

1. स्नातक स्तर तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत्/सेवानिवृत्त/मृत छ.ग. के शासकीय सेवकों के बच्चों का शिक्षण शुल्क माफ होगा।
2. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने माता/पिता के कार्यालय के विभागीय प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रवेश फीस देते समय प्रसतुत करना होगा।

3. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने पर इस सुविधा से वंचित हो जावेगा। आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अगली कक्षा में यह सुविधा उसे फिर से मिल सकेगी।
4. यह सुविधा अच्छे चाल–चलन तथा संतोषजनक प्रगति पर निर्भर है। यदि विद्यार्थी हड़ताल/विध्वसंक कार्य/रैगिंग इत्यदि में भाग लेगा तो बगैर सूचना दिये ही यह सुविधा वापस ले ली जायेगी।
5. छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा शुल्क एवं विज्ञान शुल्क देय नहीं होगा।

(प) छात्रवृत्ति योजना–

छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार देय होगी।

महाविद्यालय की वार्षिक समय सारिणी

प्राचार्य द्वारा समय–समय पर घोषित किये जाने के बाद सूचना पटल पर लगा दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी नहीं दी जाती है।

क्रीड़ा विभाग

महाविद्यालय के छात्रों के बहुमुखी विकास का प्रयास किया जाता हैं अतः पाठ्यक्रम में उनकों पारंगत करने के साथ–साथ उन्हें विभिन्न खेलकूद एवं अन्य बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालय में स्पोर्ट्स, (खेल–कूद) में फुटबॉल, बेडमिण्टन,कैरम, नेटबॉल, क्रिकेट, शतरंज एवं एथलेटिक्स की सुविधा है।

रेडक्रॉस

महाविद्यालय में रेडक्रास की यूनिट है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/रायपुर/09 दिनांक 06/07/2023 के अंतर्गत निःशुल्क ब्लड ग्रुप, एड्स परीक्षण, रक्तदान एवं स्वास्थय सेवा संबंधी गतिविधियां सम्पादित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 100 छात्रों का चयन किया जाता है। प्रथम वर्ष स्नातक छात्रों के एन.सी.सी. या एन.एस.एस. में दर्ज होना अनिवार्य है। उत्सुक छात्र–छात्राएं निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। एन.एस.एस. के अंतर्गत ''बी'' प्रमाण पत्र परीक्षाएं महाविद्यालय में आयोजित की जाती हैं।

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 1700 पुस्तकें हैं, जिसमें बुक बैंक, यू.जी.सी., विज्ञान विषय स्कीम, जनभागीदारी मद, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले छात्रों के लिये स्कीम की पुस्तकें सम्मिलित हैं, साथ ही पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर शोध पत्र उपलब्ध है। महाविद्यालय में प्रमुख समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र–पत्रिकाऐं आती हैं। छात्रों के लिये वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है।

विद्यार्थी सहायता निधि

महाविद्यालय में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार तथा नियमांर्तगत निर्धन विद्यार्थियों की सहायता के लिये निधि की स्थापना की गयी है। इस निधि से गरीब जरूरतमंद छात्रों को फीस एवं पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता प्रदान की जाती हैं। सहायता राशि प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि सूचना पटल पर लगा दी जाती है।

परिचय पत्र

महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र रखना तथा मांगने पर उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। स्नेह सम्मेलन अथवा महाविद्यालय कार्यक्रम और अध्ययन के समय यह परिचय पत्र विद्यार्थियों के पास होना चाहिये। परिचय पत्र के पीछे छपी सूचनाओं का पालन

करना आवश्यक है। जो विद्यार्थी महाविद्यालय प्रांगण परिचय पत्र विहीन पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

CARRIER COUNSELLING AND PLACEMENT CELL

The primary highlight of Shaheed Nandkumar Patel Govt. College, Birgaon, Raipur, is its career counseling and placement services. The placement cell has infused hope and confidence into the minds of the students. Operating under the leadership of the Principal, its most significant achievement has been organizing on-campus interviews for various organizations. Successful candidates have joined these companies as Executive Marketing and Operations officers, Sales Executives, Chemists, and Communication Executives

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम

(1) वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपनी कक्षाओं में प्राप्त करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। 75 प्रतिशत् उपस्थिति एन.एस.एस. के लिये भी आवश्यक है। कार्य परिषद ने विद्या परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 10/11/1970 को निम्नलिखित संस्तुतियां स्वीकृत की। अध्यादेश 13 के अंतिम पैरा के बदले निम्नानुसार पैरा रखा जाये।

Provided also students of college representing in college or University in the recognized tournaments and extracurricular activities should be treated as present in classes during period of journey and participation in the tournaments & extracurricular activities and should be given attendance of all classes, theory and practical, held during this period.

उपरोक्त आदेश के अंर्तगत एतद उपस्थिति प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यार्थी उसी माह के अन्त तक संबंधित प्राध्यापक से

संस्तुति प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विद्यार्थी उपस्थिति प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे।

(2) जो विद्यार्थी किसी कारण से छुट्टी लेना चाहते हो अपना आवेदन प्राचार्य को समय से पूर्व प्रस्तुत करें जो उनके अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये जो विद्यार्थी बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहेंगे, उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

आचरण संहिता

1. छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
2. जिन छात्रों का आचरण असंतोषजनक रहेगा अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में अशांति की आशंका होगी, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
3. विद्यार्थी महाविद्यालय में शालीन वेशभूषा में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये। प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
4. महाविद्यालय की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र रुचि लेगा। इसके विपरीत किसी भी कुप्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग लेगा और न दूसरों को उकसायेगा। महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग, प्रदर्शन नहीं करेगा।
5. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सहपाठियों से नम्रता एवं भद्रतापूर्वक आचरण करेगा।
6. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा। महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का प्रयोग सर्वथा वर्जित रहेगा। महाविद्यालय में पान, गुटखा, तम्बाकू आदि खाकर/लेकर आना मना है। महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के सामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।

7. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन/हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं या समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
8. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति किस प्रकार बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक ना लगे ऐसा व्यवहार छात्रों द्वारा अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

01 प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की कम से कम 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

02 विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा, उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।

03 ग्रंथालय के नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें निर्गमित होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड लगेगा।

04 अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह शिक्षकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढ़ंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

05 व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स आदि की तोड–फोड करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

01 विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं तथा आतंरिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

02 अस्वस्थता के कारण आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।

03 परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गम्भीर दुराचार माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

01 यदि विद्यार्थी किसी अनैतिक, गम्भीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

02 यदि विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है।

03 यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

04 यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन में उसके पालक/अभिभावक का (घोषणा पत्र पर) हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के समक्ष करेगा।

05 स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय (जब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ रहा होगा) तब अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी इस निधि की वापस के समय विद्यार्थी को संबंधित रसीद प्रस्तुत करनी होगी। यदि छात्र की अमानती राशि एक वर्ष तक नहीं ली जायेगी तो वह उसके पश्चात राजसात समझी जायेगी।

06 उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अधीन इस विवरण पत्रिका के किसी भी नियम/उप नियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। प्राचार्य द्वारा विज्ञापित तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से अनिवार्यतः लागू होंगे।

रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अन्तर्गत –कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में संलग्न रहना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा जीवन के लिये खतरा हो। उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में संलग्न रहना, जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा जीवन के लिये खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यापद हो जाये या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दण्ड, भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग के स्वरुप :

रैगिंग निम्नांकित रुपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, सम्पूर्ण नहीं) में पायी जाती है :

स्पष्ट आदेश

- सीनियर छात्रों को ''सर'' कहने के लिए।

- सामूहिक कवायद करने के लिए।
- सीनियरों के क्लास–नोट्स उतारने के लिए।
- अनेक सोंपे हुए कार्य करने के लिए।
- सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए।
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए।
- नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पंहुचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए ।
- शराब, उबलती हुयी चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना।
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य–समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- नंगा करना, चुम्बन लेना आदि।
- अन्य अश्लीलता कार्य करना।

उपर्युक्त से विदित होता है कि प्रथम पांच छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

रैंगिग में लिप्त होने पर दिये जाने वाले दण्ड :

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रूपये 25000/– तक।

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग घृणित एवं अमानवीय कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के

विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत आपराधिक प्रकरण ने गिरफ्तारी जुर्माना या दोनों तथा महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगायी जायेगी।

शिकायत पेटी की व्यवस्था

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के समक्ष शिकायत पेटी रखी गयी है। इसमें निम्नलिखित विषयों संबंधित वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम से डाल सकता है।

01 महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रैंगिग गतिविधि/अशांति उत्पन्न करने वाला कोई कार्य अनुशासनहीनता, पीने के पानी एवं सफाई विषयक।

02 कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैक बोर्ड आदि विषयक।

03 संरक्षित निधि, छात्रवृत्ति अन्य प्रमाण पत्र विषयक।

04 किसी कक्षा/वर्ग में अध्यापन नहीं होने विषयक एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली विषयक।

05 महाविद्यालय में कार्यालय की कार्यप्रणाली विषयक ऐसी शिकायत पेटी में डाले जा सकते हैं जो महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लायें।

छात्रवृत्ति

1–राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन–पत्र छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ माध्यामिक शिक्षा मंडल/वि.वि. द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते है। इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. शासन, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर को भेजना चाहिये।

2–स्नातक छात्रवृत्तियां आयुक्त शिक्षा संचालनालय, छ.ग. शासन रायपुर द्वारा स्वीकृत की जाती है।

3–अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को निर्धारित तिथि पर भेजे जाने चाहिए।

4–बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना महाविद्यालय में लागू है।

5–राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगें।

6—महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय पर घोषित की जायेंगी।

1— म.प्र./छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र 2246232/7/20/9/72/दिनांक 04.05.1972 के अनुसार प्रथम उपाधि स्तर तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के बच्चे को शिक्षण शुल्क में पूरी छूट दी जायेगी।

अन्य—राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ—73/162/63/डी—42 दिनांक 05.02.1977 के अनुसार दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में दिवंगत, घायल अथवा अपंग हुये सैनिक अधिकारियों की विधवा पत्नियों एवं बच्चों को 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1965 के भारत पाक युद्ध में दिवंगत, घायल अथवा अपंग सैनिक अधिकारियों की विधवा पत्नियों एवं बच्चों को भी नियमानुसार जिलाधीश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क आदि में सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। शिक्षण शुल्क में सुविधा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अनुशासन भंग करने, अध्ययन क्रम असंतोषजनक गति की दशा में, गलत आचरण पाये जाने पर, किसी आंदोलन या हड़ताल में भाग लेने आदि के कारण उक्त सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को आवेदन पत्र देना अनिवार्य है।

टीप—राज्य शासन के आदेश क्र0 228/9599/20/5 दिनांक 06.01.1967 के अनुसार निम्न वर्ग के कर्मचारियों के बच्चो के आदेश क्र. 2246/3237/20/5 दिनांक 06.01.1967 के अनुसार निम्न वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को आदेश क्र. 2246/3237/20—9/72 दिनांक 04.05.1973 के अंतर्गत शिक्षण शुल्क में छूट नहीं दी जाती है।

1— केन्द्रीय शासन कर्मचारियों के बच्चों को। 2. बैंक कर्मचारियों के बच्चों को।
3— नगर पालिका कर्मचारियों के बच्चों को 4—ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के बच्चो को 5— स्वयंशासी संस्था के कर्मचारियों के बच्चों को।

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय,बीरगाँव,रायपुर (छ.ग.)

अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

क्र.	नाम	धारित पद	मोबाईल नम्बर
1	डॉ. एच.एल. वर्मा	प्राध्यापक– राजनीतिशास्त्र	7999070308
2	श्री जितेन्द्र यादव	सहा.प्राध्यापक–वनस्पतिशास्त्र	9424215466
3	डॉ. सौम्या रामटेके	सहा.प्राध्यापक–अंग्रेजी	9303016036
4	डॉ. मनोज कुमार जांगड़े	सहा. प्राध्यापक–रसायनशास्त्र	9424268611
5	डॉ. आशा रामटेके	सहा. प्राध्यापक–वाणिज्य	9827922177
6	डॉ. रोसमीना कुजूर	सहा. प्राध्यापक– हिन्दी	9713850600
7	डॉ. मनोज कुमार शर्मा	सहा.प्राध्यापक गणित	9826570044
8	श्रीमती अनुराधा साहू	सहा.प्राध्यापक–प्राणीशास्त्र	9409680376
10	डॉ.कविता कोसरिया	विभागाध्यक्ष– समाजशास्त्र	7987491987
11	श्री प्रकाश भारद्वाज	सहा.प्राध्यापक–अर्थशास्त्र	9098766500
12	डॉ. युगबोध पटले	सहा. प्राध्यापक –भौतिकशास्त्र	7089430025
13	श्री रविन्द्र राठौर	सहा.प्राध्यापक–बायोटेक	8770239104
14	सुश्री सोनम बंसोड़	अतिथि व्या.–समाजशास्त्र	7470309334
15	डॉ. मनीषा बोस	अतिथि व्या.–समाजशास्त्र	8719949454
16	श्रीमती दीक्षा अनुरागी	अतिथि व्या.–वाणिज्य	9179296095

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय,बीरगाँव,रायपुर (छ.ग.)

कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री रामेश्वर प्रसाद देवांगन	सहायक ग्रेड–01	9039322495
2	श्री भूपेन्द्र कुमार निषाद	सहायक ग्रेड–02	6267370980
3	श्री अपूर्व सिंह	सहायक ग्रेड–03	9993272401
4	श्री चन्द्रशेखर पाड़े	प्रयो. तकनीशियन	8435222968
5	सुश्री मोनू लालपुरी	प्रयो. तकनीशियन	9907149737
6	श्री मितुल गुप्ता	प्रयो. तकनीशियन	9723196563
7	सुश्री पूजा गोस्वामी	प्रयो. परिचारक	9425542636
8	श्री योगेश कुमार यादव	भृत्य	7773830532

प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मोती लाल साहू जी विधायक का प्राचार्य डॉ. प्रीति शर्मा द्वारा स्वागत करते हुए

प्राचार्य डॉ प्रीति शर्मा एवं छात्र–छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में वृक्षारोपण

समाज सेवकों द्वारा ट्री गार्ड दान कर महाविद्यालय के प्रागंण में वृक्षारोपण

OnePlus 13
HASSELBLAD
23mm f/1.6 1/284s ISO200

GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur,
Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.30814° Long 81.63498°
Friday, 31/10/2025 12:26 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
8j5m+6w2, कैलाश नगर, बीरगाँव, रायपुर, छत्तीसगढ़ 493221, भारत
Lat 21.308297° Long 81.634733°
11/10/2025 01:07 PM GMT +05:30
Google

बायोटेक्नोलॉजी लैब विजिट 16.12. 2019

OnePlus 13
HASSELBLAD
23mm f/1.6 1/717s ISO64

कालेज कैम्पस को प्लास्टिक मुक्त करने हेतु अभियान

OnePlus 13

HASSELBLAD

23mm f/1.6 1/200s ISO160

जनभागीदारी समिति के सदस्य

GPS Map Camera
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
8j5m+6w2, कैलाश नगर, बीरगाँव, रायपुर, छत्तीसगढ़ 493221, भारत
Lat 21.308194° Long 81.635022°
बुधवार, 10/12/2025 11:22 AM GMT +05:30
Google

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय
बीरगांव, जिला - रायपुर (छ.ग.)
स्थापना वर्ष
15 जून 2017
Geo-Tagging Camera
2025/12/15 12:39
Raipur,Chhattisgarh,India
8J5M+6W2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308255 Long 81.635036
30
BHANPURI
Google
भनपुरी

रेड रिबन क्लब
Geo-Tagging Camera
2025/12/15 12:54
Raipur,Chhattisgarh,India
Mathpara, Ward Number 20, Kailash Nagar, Birgoan,
Raipur, Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308405 Long 81.634855
30
Google
भनपुरी

लायन्स वृद्धाश्रम
आश्रय
स्थापित: 19 जून 2000
श्याम नगर रायपुर (छ.ग.)
समाजशास्त्र विभाग

शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय
बीरगांव, रायपुर (छ.ग.)
मुख्य वक्ता–डॉ. अभया जोगलेकर
GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur,
Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308084° Long 81.634944°
Tuesday, 04/11/2025 03:36 PM GMT +05:30
Google
शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय बीरगांव
समाजशास्त्र विभाग
आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।

Raipur, Chhattisgarh, India
8j5p+f49, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgar
493221, India
Lat 21.308237° Long 81.635287°
Tuesday, 04/11/2025 03:36 PM GMT +05:30

Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur,
Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308217° Long 81.635165°
Tuesday, 04/11/2025 03:35 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur,
Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308195° Long 81.634834°
Tuesday, 04/11/2025 03:34 PM GMT +05:30

Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur,
Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308282° Long 81.635008°
Tuesday, 04/11/2025 03:35 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
8j5m+6w2, कैलाश नगर, बीरगाँव, रायपुर, छत्तीसगढ़ 493221, भारत
Lat 21.308251° Long 81.635097°

युवाओं के लिए
पौषण स्वास्थ्य
और
स्वच्छता
GPS Map Camera

GPS Map Camera

Shaheed Nand Kumar Patel Govt. College Birgaon

GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308349° Long 81.634688°
Tuesday, 28/04/2026 02:08 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308169° Long 81.634977°
Monday, 27/04/2026 03:41 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308365° Long 81.6347°
Wednesday, 29/04/2026 01:15 PM GMT +05:30
Google

Raipur, Chhattisgarh, India

GADHKALA
Food
CHILA
FARA

Raipur, Chhattisgarh, भारत
Swami Aatmanand, Govt.excellent School, Kailash Naga
Chhattisgarh 493221, भारत
Lat 21.308112° Long 81.634771°
सोमवार, 02/02/2026 02:26 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

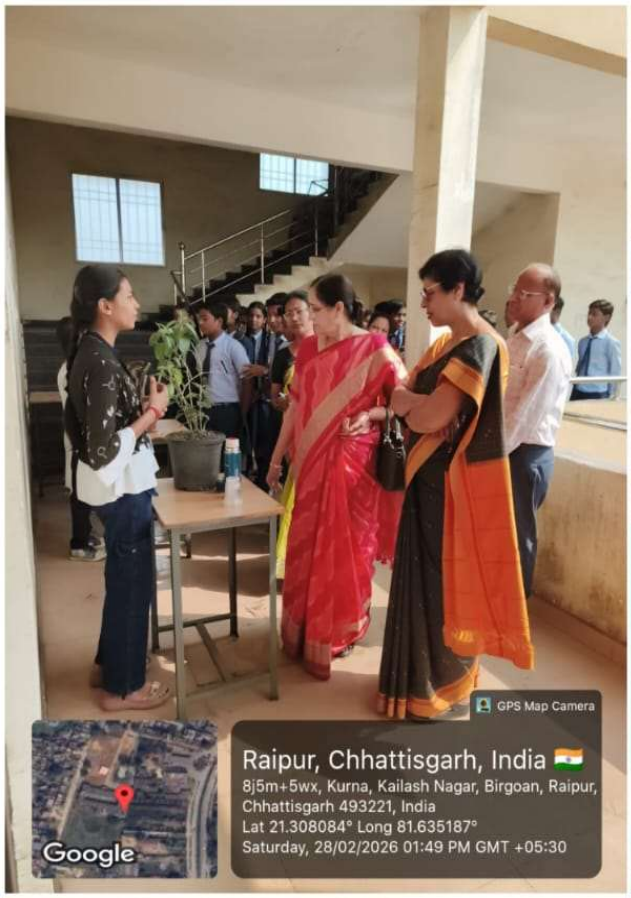
GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
8j5m+5wx, Kurna, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308084° Long 81.635187°
Saturday, 28/02/2026 01:49 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
Swami Aatmanand, Govt.excellent School, Kailash Nagar, Mowa, Raipur, Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308069° Long 81.634454°
Monday, 26/01/2026 08:00 AM GMT +05:30
Google

Raipur, Chhattisgarh, Indi
8j5m+6w2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipu
Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.308141° Long 81.634828°
Monday, 02/02/2026 01:47 PM GMT +05

CHHATTISGARH
CHHATTISGARH

KHELO INDIA
FIT INDIA
रायपुर लोकसभा सांसद

Raipur, Chhattisgarh, In
6jmp+p9v, Near Sapre High School,
Budhapara, Raipur, Chhattisgarh 492
Lat 21.234797° Long 81.636497°
Saturday, 29/11/2025 12:52 PM GMT

Geo-Tagging Camera
2025/12/04 15:58
,India
Kailash Nagar, Birgoan, Raip
Long 81.634731

MATS UNIVERSITY
GOALS
Dr. Priti Sharma
Principal

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 27 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध

- रैगिंग एवं दंडनीय अपराध है।
- रैगिंग मानवीय मूल्यों का हनन है।

रैगिंग में निम्नलिखित का समावेश है

- मजाकपूर्ण व्यवहार।
- किसी बात के लिए बाध्य करना।
- व्यक्तित्व का अपमान या उपहास।
- दोषपूर्ण अवरोध।
- दोषपूर्ण प्रतिरोध।
- क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग।
- आपराधिक धमकी।
- **विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।**

रैगिंग के लिये दंड

- 5 वर्ष का कारावास।
- रू. 5000 जुर्माना।
- दोनों प्रकार के दंड।

विशेष टीप :–

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनकों संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवदेक प्रथम टर्म के अंको के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।